

प्रति निर्णय दिनांक 30-1-2018

पंचायत निगरानी सं. 4/2017

अशोक कुमार बनाम मनरुपा, कौराह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

30-1-18

प्रार्थी वकील उपस्थित / अप्रार्थी सं. 1 से 4 अनुपस्थित /
वकील प्रार्थी ने इस प्रकरण में Not press किया
है। अतः प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र
Not press में स्वीरिज किया जाता है। पत्रावली
नम्बर से कम है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

S.d.
(नरेश कुंकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालौर (राज.)

Not
press
no
30-1-18